



29

## न्यायालय— माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, म०प्र०

प्रकरण कमांक / 18 आवेदन पत्र

विपिद्य-4641/2018/राजस्व मण्डल/ग्वालियर

श्री. प्रभूदयाल खंगार पुत्र स्व० श्री श्यामलाल खंगार  
दिनांक 26-7-18  
प्रस्तुत प्रारम्भिक सूक्त  
दिनांक 4-8-18  
राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर

गौरीशंकर खंगार पुत्र स्व० श्री श्यामलाल खंगार, व्यवसाय—कृषि, निवासी—ग्राम शिवपुरी, जमडार तहसील व जिला टीकमगढ, म०प्र०.

— आवेदक

वनाम्

- 1- प्रभूदयाल खंगार पुत्र स्व० श्री श्यामलाल खंगार व्यवसाय—कृषि, निवासी—ग्राम शिवपुरी, जमडार तहसील व जिला टीकमगढ, म०प्र०
- 2- रघुनाथ सिंह पुत्र श्री तेज सिंह व्यवसाय—कृषि, निवासी—ग्राम शिवपुरी, जमडार तहसील व जिला टीकमगढ, म०प्र०
- 3- श्रीमती पुष्पा पुत्र श्री मुन्नालाल जैन,, निवासी— मुकेश लॉज के पास, तहसील व जिला जिला टीकमगढ म०प्र०
- 4- श्रीमती रितू पुत्र श्री मनोज जैन,, निवासी—मुकेश लॉज के पास, तहसील व जिला जिला टीकमगढ म०प्र०
- 5- श्रीमती निशा रावत पुत्र श्री प्रदीप रावत,, निवासी—मुकेश लॉज के पास, तहसील व जिला जिला टीकमगढ, म०प्र०
- 6- गुलाब खंगार पुत्र स्व० श्री श्यामलाल खंगार, निवासी—ग्राम शिवपुरी जमडार तहसील व जिला टीकमगढ, म०प्र०

अभिज्ञ सिंह (48)  
26/07/18

2865  
26/07/2018  
महेश सिंह कुशवाह  
शापक आयुक्त  
ग्वालियर मध्य प्रदेश

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 9 उपधारा 32 म०प्र० भू-राजस्व संहिता

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से आवेदन सादर प्रस्तुत है:-

- 1- यहकि, आवेदक द्वारा एक पुनरीक्षण आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो R-1474-I/16 पर दर्ज हुआ, जिसका उनमान गौरीशंकर खंगार वनाम प्रभूदयाल खंगार आदि था, जिसमें तारीख पेश दिनांक 05-07-18 नियत थी।
- 2- यहकि, उक्त दिनांक को आवेदक के अभिभाषक जिला एवं सत्र न्यायालय में अन्य प्रकरणों में व्यस्त होने के कारण प्रकरण की सुनवाई के समय माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके थे, जिसके कारण आवेदक का प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है।

28/8/18

2

Naoki  
20/8/18  
A

प्रकरण पेशां | आवेक आवेक प्रक  
श्री ससके अवस्थी व अजुनासेह  
को सुना राया। रेस्टोरेशन

आवेक स्वीकार किया गया।  
जाता है। निगरानी पुनः नम्बर पर  
ली जाती है।

3

28/8/18